फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री भजा** विपक्षी :– **श्री नारायण वगैरह**

किस्म मुकदमा :– **53,188 आरटीएक्ट** पत्रावली संख्या :– **74/22 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2022/217**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 19.12.2025 पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक टीए/निग/2025/6462/उदयपुर/18.12.2025/17946 दिनांक 01.12.2025 उक्त पत्रावली को मंगवाने हेतु पेश होने पर तलब की गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि आदेशिका दिनांक 17.06.2025 के फर्द अहकाम पर अनवान एवं प्रकरण संख्या अंकित किए गए थे, जिसमें अनवान तो सही अंकित है परन्तु अनवान के तत्काल पश्चात् प्रकरण संख्या एवं जीसीएमएस नम्बर सेहवन से गलत अंकित हो गए है जबकि इसी प्रकरण के प्रकरण संख्या अंकित किए जाने थे। उक्त त्रुटि को ठीक करने से आदेशिका दिनांक 17.06.2025 पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। उक्त त्रुटि को ठीक किया जाकर पत्रावली माननीय न्यायालय को भिजवाया जाना उचित हैं। ऐसे में आदेशिका दिनांक 17.06.2025 के फर्द अहकाम पर अनवान के तत्काल पश्चात् अंकित किए प्रकरण संख्या 108/21 वाद एवं जीसीएमएस नम्बर 2021/486 के बजाय प्रकरण संख्या 74/22 वाद एवं जीसीएमएस नम्बर 2022/217 संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त संशोधन लाल स्याही से किया जावें। साथ ही न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने से न्यायालय हाजा में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर माननीय न्यायालय को भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में अंकित की जावें तथा जीसीएमएस पोर्टल पर निर्णित की जावें। यदि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में यदि अन्य कोई पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है तो वह यथावत् चलती रहेगी अर्थात् उन पत्रावलियों पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। (रमेश सीरवी पुनाडिया RAS) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:27:05 IST
Reason: SelfAttested